an>

Title: Need to increase the funds for rehabilitation of persons displaced in Tonk - Sawai Madhopur Parliamentary Constituency of Rajasthan.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर): महोदया, राजस्थान में तीन टाइगर रिजर्व सरिस्का, रणथम्बौर और मुंकदरा टाइगर क्षेत्र में कुल 108 गांवों को विस्थापित किया जाना है अब तक केवल 8 गांव स्थापित हुए हैं। 3 टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में सौ गांव के लगभग चौदह हजार परिवारों को विस्थापित किया जाना शेÂ◌ा है। जिसके लिए लगभग 1424 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र रणथम्भौर में 26 गांवों का विस्थापन किया जाना है, जिसमें से अभी तक केवल पांच गांव ही विस्थापित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, कल वूमैन डे था और हमारी मुख्य मंत्री सुश्री वसुंधरा जी का जन्मदिन भी था। मुझे कल आपके माध्यम से रणथम्भौर की सौगात मिली है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जो नया भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ है, उसके तहत इन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पहले किसानों को दस लाख रुपये का मुआवजा मिलता था, वह वर्ष 2008 के कानून के तहत मिलता था। इस दस लाख रुपये में न तो परिवार विस्थापित हो पाता है और न ही वह अपना मकान बना सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नया भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ है, उसमें करीब पचास लाख रुपये एक परिवार को दिये जायें। इसके साथ-साथ वहां सब सुख-सुविधाएं दी जायें, जैसे नयी सड़क बने, बिजली-पानी हो, ताकि वह परिवार विस्थापित होकर अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

श्री सी.पी. जोशी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।